डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. बि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. -108 भोपाल 2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2001—कार्तिक 11, शक 1923

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2001

क्र. 919-वि.नि.आ.-2001.—विद्युत् नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का क्रमांक 14) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है; यथा :—

अध्याय-i—सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा सूत्रपात.—(1) ये नियम को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2001 कहलायेंगे.

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. प्रयोजन.—ये नियम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के सचिव के सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे.

3. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्य अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ होगा विद्युत् नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (19 का क्रमांक 14),

(ख) 'आयोग' का अर्थ होगा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग,

(ग) 'अध्यक्ष' का अर्थ होगा आयोग का अध्यक्ष,

(घ) 'सदस्य' का अर्थ होगा आयोग का सदस्य,

(ङ) 'नियुक्तिकर्ता अधिकारी' का अर्थ होगा—

(i) खण्ड-4 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के भाग-क में उल्लिखित पदों के लिये अध्यक्ष, एवं

(ii) खण्ड-4 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के भाग-ख में उल्लिखित पदों हेतु सचिव,

च) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ होगा इन विनियमों के अनुसार अध्यक्ष और समय-समय पर आयोग द्वारा प्राधिकृत आयोग के ऐसे अन्य अधिकारी,

छ) 'कृत्य' के तात्पर्य में आयोग के सभी कार्य और संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी,

(ज) 'सेवा' का अर्थ होगा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आयोग की सेवा,

(झ) 'वर्ष' का अर्थ होगा वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च),

(ण) इन विनियमों में उपयुक्त शब्द या कथन, जिन्हें यहां व्याख्यायित नहीं किया गया, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा आवश्यक न हो, उनकी क्रमशः वही व्याख्याता होगी जो अधिनियम, विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 में दी गई है, और

(त) 'राज्य शासन' का अर्थ होगा मध्यप्रदेश शासन.

अध्याय-ii—पदों का वर्गीकरण और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या

4. पदों का वर्गीकरण और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या.—(क) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार तथा राज्य शासन के अनुमोदन से, आयोग द्वारा, अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता हेतु आवश्यक, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या, प्रकार तथा श्रेणियां निश्चित की गई हैं, जो परिशिष्ट-1 में उल्लिखित हैं.

(ख) आयोग समय-समय पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकार एवं श्रेणियों में फेरफार, परिवर्तन, संशोधन, बदलाव, बढ़ाना, घटाना, समाप्त करना या पुनर्वर्गीकरण कर सकता है.

(ग) आयोग, अपने सदस्यों/अध्यक्ष की सहायता करने के लिये संबद्ध क्षेत्र/दक्षता के सलाहकारों और/या परामर्शदाताओं की, आयोग द्वारा तय किये गये पारिश्रमिक और अन्य निबंधन तथा शर्तों पर उचित अवधि के लिये, संविदा नियुक्ति भी कर सकता है.

5. पदों में रिक्ति.—खण्ड-4 के उपखण्ड (क) में आयोग के लिये ऐसा कुछ बाध्यकारी नहीं होगा कि हर समय सभी श्रेणियों या पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को पदस्थ होना चाहिए.

अध्याय-iii—नियोजन

6. अधिकारियों का नियोजन.—(क) किसी अधिकारी/कर्मचारी को किस समय किस पद पर रखा जायेगा, इसका निर्णय आयोग करेगा.

(ख) सेवाओं की आवश्यकताओं या पदों की उपलब्धता के मद्देनजर, अधिकारी/कर्मचारी की उसकी श्रेणी के समकक्ष किसी अन्य पद पर रखा जा सकेगा.

(ग) किसी भी अधिकारी को एक से अधिक पद पर रखा जा सकता है, जिसके लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा.

अध्याय-iv—भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें

7. नियुक्ति.—(क) आयोग जब तक अन्यथा निश्चित न करे आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिका अनुशासनिक प्राधिकारी, परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्टानुसार होंगे.

(ख) अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती का स्त्रोत परिशिष्ट-1 के भाग (क) एवं (ख) में वर्णित अनुसार होगा.

(ग) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पहले, बाहरी व्यक्तियों सहित, आयोग द्वारा नियोजित किये गये व्यक्ति, विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती हेतु आयु पर ध्यान दिये बिना विचार किये जाने के लिये पात्र होंगे, परन्तु उन पर इन विनियमों में विहित अधिकतम आयु-सीमा की शर्त लागू होगी, यदि वे संबंधित पद के विचारार्थ निर्धारित योग्यता का मापदण्ड पूरा करते हों.

(घ) जिस व्यक्ति को नियुक्ति दी जाती है, उसके लिए आवश्यक होगा कि वह इन नियमों के परिशिष्ट-3 में दर्शाई गई योग्यता एवं अनुभव रखे. तथापि, आयोग कारणों को अभिलिखित कर, उचित प्रकरणों में पदों और व्यक्तियों के संबंध में, नियुक्ति हेतु पात्रता का मापदण्ड शिथिल कर सकता है.

(ङ) जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर तय किया जाए, सभी नियुक्तियां चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन की शर्त पर की जायेंगी.

8. चयन समिति का गठन.—(क) खण्ड-4 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के भाग 'क' में उल्लिखित पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार एवं अनुशंसा करने हेतु एक चयन समिति होगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा :—

(i) अध्यक्ष—आयोग का अध्यक्ष.

(ii) सदस्य—आयोग का सदस्य.

(iii) सदस्य—आयोग द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञ.

(iv) संयोजक—आयोग का सचिव.

(ख) परिशिष्ट-1 के भाग 'ख' में उल्लिखित पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार एवं अनुशंसा करने हेतु एक पृथक् चयन समिति होगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा :—

(i) संचालकों और सचिव में से वरिष्ठतम, अध्यक्ष होगा.

(ii) (क) प्रशासन का प्रभारी सचिव/संचालक अथवा यदि वह वरिष्ठतम हो तो अगला वरिष्ठ संचालक, सदस्य होगा.

(ख) आयोग का सचिव या यदि वह वरिष्ठतम हो तो अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई भी संचालक सदस्य होगा.

(iii) अध्यक्ष द्वारा नामांकित उप सचिव या अन्य अधिकारी, समिति का संयोजक होगा.

(ग) (i) जैसा और जब आवश्यक हो, चयन समिति की बैठक होगी.

(ii) समुचित प्रकरणों में, चयन समिति, आयोग के विचार हेतु वेतन निर्धारण पर भी अनुशंसा कर सकती है.

(iii) चयन समिति द्वारा दी गई अनुशंसा अंतिम होगी और 6 माह या ऐसी अवधि तक मान्य होगी, जो आयोग द्वारा बढ़ाई गई हो.

(घ) आयोग, चयन समिति के अनुसरण हेतु, प्रक्रिया बना सकता है.

9. आयु-सीमा.—चालक, चपरासी/अर्दली और समान श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु-सीमा होगी. शेष अधिकारियों और कर्मचारियों की आयोग में नियुक्ति के लिये ऊपर की आयु-सीमा नहीं होगी बशर्ते कि समतुल्य श्रेणी में कार्यरत् राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार, वृत्ति भोगी की नियत अधिवार्षिकी में कम से कम 3 वर्ष का समय शेष हो.

10. आवेदन.—(क) आयोग, सीधी नियुक्ति से पदों को भरने हेतु रिक्तियों की संख्या निश्चित कर सकता है और सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन बुला सकता है.

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में, आयोग द्वारा निर्णीत रीति से, सम्बद्ध दस्तावेजों के साथ आयोग के सचिव या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी को अधिसूचित तिथि के पहले, आवेदन-पत्र देगा.

11. प्रमाण-पत्र.—उम्मीदवार, आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा :—

(क) वांछित शिक्षा योग्यता एवं अनुभव रखने के प्रमाण.

(ख) यदि उम्मीदवार ने सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में सेवा न की हो तो उस शिक्षा संस्थान द्वारा जारी चरित्र एवं आचरण का प्रमाण-पत्र, जिसमें वह अंतिम बार उपस्थित रहा हो.

(ग) आयु का प्रमाण, जो माध्यमिक शाला/उच्चतर माध्यमिक शाला या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र होगा.

(घ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य किसी आरक्षित वर्ग से संबंध रखता हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र.

12. आवेदन पर कार्यवाही.—आवेदनों की जांच पश्चात् रिक्त पदों के अनुसार, आयोग सभी वैद्य आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और तैयार की गई अल्प सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगा.

13. उम्मीदवारों का चयन.—चयन समिति उम्मीदवारों को, उनकी क्रमशः योग्यता के आधार पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को अनुशंसित करेगा.

14. नियुक्तियां.—(क) चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जावेगी.

(ख) श्रेणी 1 एवं 2 में नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयनित उम्मीदवार, जो शासकीय सेवा में नहीं हों, चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षा करायेगा और शेष मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षा करायेंगे. जो उम्मीदवार अयोग्य पाये जायेंगे, वे नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे.

15. **वेतन निर्धारण.**—चयन समिति की अनुशंसा पर, चयनित उम्मीदवार को वेतन, वेतनमान के उच्च स्टेज पर, जैसा कि आयोग अनुमोदित करें, नियत किया जा सकता है.

16. **मूल प्रमाण-पत्र.**—उम्मीदवार, निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां, साक्षात्कार के समय या जब कभी भी आवश्यक हो और सेवा में पद ग्रहण के समय प्रस्तुत करेंगे :—

(क) माध्यमिक शाला/उच्चतर माध्यमिक शाला या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र.

(ख) शिक्षा योग्यता और अनुभव के दस्तावेज.

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य आरक्षित वर्ग का प्रमाण-पत्र..

17. **परिवीक्षा.**—(क) सभी सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति, उनके पदग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे.

(ख) परिवीक्षा अवधि में निम्नलिखित अवधि सम्मिलित नहीं होगी :—

(i) परिवीक्षा अवधि में अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश और चिकित्सा अवकाश पर रहने वाली अवधि.

(ii) कर्त्तव्य पर अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि और आयोग द्वारा कर्त्तव्य पर नहीं रहने बाबत् करार दी गई अवधि.

(ग) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयोग, एक या अधिक किश्तों में अधिकतम एक वर्ष के लिये परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है.

(घ) आयोग, एक माह का नोटिस देकर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवाओं से अभिमुक्त कर सकता है.

(ङ) यदि कोई व्यक्ति शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में सेवारत है और उसे आयोग में नियुक्ति हेतु चयन किया जाता है तो उसके आयोग में पुष्टिकरण तक, पदग्रहण के शीघ्र पहले वाले पद के धारणाधिकार रखने की अनुमति होगी.

18. **रिक्तियों का आरक्षण.**—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को राज्य सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में दिये जाने वाले आरक्षण एवं अन्य रियायतें, इन विनियमों के किसी भी भाग से प्रभावित नहीं होंगी.

19. **प्रशिक्षण.**—(क) आयोग द्वारा विनिष्ट ऐसे प्रशिक्षण या आंतरिक और/अथवा बाहरी पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु आयोग के कर्मचारियों को जाना होगा.

(ख) आयोग के जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु भेजा जायेगा, उन्हें प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रम के बाद आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि तक जो प्रत्येक एक माह के प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम हेतु 12 माह से अधिक नहीं तथा अधिकतम दो वर्ष होगी, आयोग की सेवा करने का बंधपत्र निष्पादन करना होगा. अनुबंध अवधि तक आयोग की सेवा न किये जाने की दशा में प्रशिक्षण अवधि में भुगतान किये गये परिलाभों को आयोग को भुगतान करने हेतु, कर्मचारी बाध्य होगा.

(ग) प्रशिक्षण के दौरान दुराचरण से अधिरोपित कर्मचारी को वापस बुला लिया जायेगा और उस पर समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी. यदि आयोग ऐसा निर्णय देता है तो कर्मचारी को प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि वापस करनी पड़ सकती है.

20. **सेवानिवृत्ति.**—राज्य शासन के प्रचलित नियमानुसार, कर्मचारी/अधिकारी अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचने पर, आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे.

21. **सेवा शर्तों का विनिर्दिष्टिकरण.**—ठेके अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये अधिकारी या कर्मचारी की सेवा शर्तों को आयोग निर्दिष्ट कर सकता है.

अध्याय-v—पारिश्रमिक एवं अन्य प्रसुविधाएं

22. **वेतनमान.**—(क) अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान परिशिष्ट-1 में दर्शाये अनुसार होंगे. चपरासी, वाहन चालक एवं समान अन्य श्रेणियों हेतु आयोग प्रारंभ में जिलाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर दैनिक मजदूरी पर, उचित अवधि हेतु व्यक्तियों को काम पर लगा सकता है.

(ख) राज्य शासन के तत्सम् श्रेणी/वेतनमान के अधिकारियों/कर्मचारियों के समतुल्य आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण किया जायेगा.

(ग) राज्य शासन के तत्सम् श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये लागू भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, इत्यादि की पात्रता आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को होगी.

(घ) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये मान्य ब्याज सहित/ब्याज रहित अग्रिम की पात्रता आयोग द्वारा भर्ती किये गये और प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को होगी.

(ङ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वशासी निकायों से आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्णीत प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा.

23. **सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकी सुविधाएं.**—(क) आयोग के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकी सुविधाओं की पात्रता होगी.

(ख) राज्य शासन/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों से आयोग में संविलीन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऐसे सरकारों/संगठनों में, आयोग में पदग्रहण के पूर्व, की गई पेंशनिक सेवा को, उपरोक्त उपखण्ड (क) में वर्णित प्रावधान हेतु सम्मिलित किया जायेगा.

(ग) अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग में पदभार ग्रहण करने के पूर्व की पेंशनिक सेवा मिलाकर, कुल पेंशनिक सेवा में से आयोग में की गई सेवा हेतु समानुपातिक आधार पर पेंशनिक लाभ दिया जायेगा परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि वह सरकार/संगठन जिसमें अधिकारी/कर्मचारी पूर्व में कार्यरत था, पूर्व सेवावधि हेतु देय समानुपातिक पेंशनिक लाभ का भार वहन करने के लिये तैयार हो.

अध्याय-vi—विविध

24. **संविदा सेवा.**—लोक सेवा की अत्यावश्यकता और उसके लिये अभिलिखित कारणों पर, आयोग में रिक्त पदों को तीन वर्ष से अनअधिक, अस्थायी रूप से संविदा सेवा के रूप में भरा जा सकता है.

25. **शिथिलकरण की शक्तियां.**—लोकहित में और अभिलिखित कारणों से, समुचित प्रकरणों में, पदों पर नियुक्ति की पात्रता के मानदण्ड को मिलाकर, इन विनियमों के प्रावधानों को आयोग शिथिल कर सकता है.

26. **व्याख्या.**—इन विनियमों के प्रावधानों की प्रयुक्ति या व्याख्या संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो इस पर निर्णय आयोग देगा और आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. विनियमों के लागू करने में उत्पन्न रूकावटों को दूर करने का अधिकार आयोग को होगा.

27. **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1965 का अनुप्रयोग.**—(क) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1965 और मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, जैसे कि समय-समय पर संशोधित हों, इन विनियमों के प्रावधानों अधीन यथा-परिवर्तित रूप में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे.

(ख) जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा उल्लेख न हो, आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तें, राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु लागू संबद्ध नियमों द्वारा विनियमित होंगे.

(ग) एक ओर समय-समय पर संशोधित इन विनियमों और नियुक्ति पत्र में दिये गये निबंधन एवं शर्तों तथा दूसरी ओर मध्यप्रदेश सिविल सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू यथा-संशोधित विनियमों के बीच अगर कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इनमें से उपरोक्त पहले वर्णित विनियम लागू होंगे.

परिशिष्ट-1 (भाग-क)

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणियां, संख्या एवं स्वरूप उनके वेतनमान एवं भर्ती के स्त्रोत

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणी (म. प्र. शासन के वर्गीकरण के अनुरूप)	वेतनमान (रुपयों में)	भर्ती का स्त्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयोग सचिव	01	I	18400—500—22400	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा
2.	संचालक (इंजीनियरिंग)	01	I	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3.	संचालक (टेरिफ)	01	I	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	संचालक (विधि)	01	I	18400—500—22400	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा
5.	संचालक (आर्थिकी)	01	I	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
6.	संयुक्त संचालक (टेरिफ)	01	I	14300—400—18300	उपरोक्तानुसार
7.	उप सचिव (कार्मिक)	01	I	12000—375—16200	उपरोक्तानुसार
8.	उप संचालक (पारेषण/ वितरण)	03	I	10000—375—15200	उपरोक्तानुसार
9.	उप संचालक (उत्पादन)	02	I	10000—375—15200	उपरोक्तानुसार
10.	आर्थिक विश्लेषक	01	I	10000—375—15200	उपरोक्तानुसार
11.	वित्तीय विश्लेषक	01	I	10000—375—15200	उपरोक्तानुसार
12.	विधि सहायक	02	I	10000—375—15200	उपरोक्तानुसार
13.	लेखा अधिकारी	01	II	6500—200—10500	उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट-1 (भाग-ख)

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणी (म. प्र. शासन के वर्गीकरण के अनुरूप)	वेतनमान (रुपयों में)	भर्ती का स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निज सचिव/निज सहायक	08	II/III	6500—200—10500/ 4000—100—6000	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा
2.	सहायक ग्रेड--II/केशियर	02	III	4000—100—6000	उपरोक्तानुसार
3.	स्टेनो टाइपिस्ट	10	III	3050—75—3950—80—4590 (विशेष वेतन 125/- प्रतिमाह)	उपरोक्तानुसार
4.	डाटा इंट्री आपरेटर	05	III	3050—75—3950—80—4590	उपरोक्तानुसार
5.	सहायक ग्रेड-III	10	III	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
6.	वाहन चालक	08	III	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
7.	मार्शल आफ दा कोर्ट	01	III	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
8.	भृत्य/अर्दली	25	IV	2550—45—3000	उपरोक्तानुसार
9.	सुरक्षा गार्ड	02	IV	2000 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति	उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील अधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी

(1)	(2)	परिशिष्ट-1 के भाग-क में दर्शाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी (3)	परिशिष्ट-1 के भाग-ख में दर्शाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी (4)
1.	नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी	अध्यक्ष	आयोग का सचिव
2.	अनुशासनिक प्राधिकारी	अध्यक्ष	आयोग का सचिव
3.	अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
4.	पुनर्विलोकन प्राधिकारी	आयोग	आयोग

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदवार अर्हता एवं अनुभव

भाग-क श्रेणी-I एवं II के अधिकारी

क्र. (1)	पद (2)	न्यूनतम अर्हता एवं आवश्यक अनुभव (3)	अतिरिक्त अर्हता/वांछनीय अनुभव (4)
1.	आयोग का सचिव	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, अधिमानतः इंजीनियरिंग या विधि में.	(क) शासकीय संस्था का अनुभव.
		(ख) न्यायपालिका या प्रशासन में 15/20 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष का प्रबंधन स्तर का होना चाहिए.	(ख) किसी विनियमित उद्योग या नियामक संस्था या न्यायिक संस्था में प्रदर्शित ज्ञान और/या अनुभव.
		(ग) उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.	(ग) कंप्यूटर योग्यता.
	संचालक (इंजीनियरिंग)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि.	(क) किसी विद्युत् युटिलिटी/विद्युत् मण्डल में विद्युत् दरों को विकसित करने का अनुभव.
		(ख) विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण संकाय वाली विद्युत् संस्था/विद्युत् मण्डल में 15/20 वर्ष का वृत्तिक अनुभव, जिसमें से कम के कम 5 वर्ष का प्रबंधन स्तर का अनुभव हो.	(ख) विद्युत् मण्डल/पावर युटिलिटी में वाणिज्यिक कार्यों और विद्युत् क्रय अनुबंध से संबंधित अनुभव.
		(ग) उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की योजना रूपांकन, संचालन के अनुभव के साथ उत्पादन केन्द्रों, सिस्टम नेटवर्क और विद्युत् गुणवत्ता में विश्वसनीयता और सुदृढ़ता तथा लोड फ्लो बाबत् अनुभव.	(ग) विद्युत् उत्पादन के मानकों एवं विश्लेषक प्रतिकृति बनाने में प्रदर्शित दक्षता.
		(घ) उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.	(घ) कंप्यूटर योग्यता.
3.	संचालक (टैरिफ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि.	(क) नियामक लेखों का ज्ञान.
		ख) पावर युटिलिटी में या वृत्तिक अर्थशास्त्री के रूप में, पावर युटिलिटी/विद्युत् मण्डल के वाणिज्यिक कार्यों एवं टैरिफ विकसित करने के गूढ़ ज्ञान सहित 15/20 वर्ष का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का पावर युटिलिटी में प्रबंधन स्तर का अनुभव हो.	(ख) पावर युटिलिटी/विद्युत् मण्डल के वित्त एवं लेखे-जोखे का ज्ञान. (ग) कंप्यूटर योग्यता.
		(ग) आर्थिक विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण और प्रतिकृति बनाने में दक्षता.	
4.	संचालक आर्थिक (अनुश्रवण एवं समन्वयन)	(क) माईक्रो-इकानामिक्स में विशेषज्ञता सहित अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि.	(क) अर्थशास्त्र में डाक्टरेट. (ख) पावर सेक्टर में प्रदर्शित अनुभव एवं ज्ञान.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(ख) वृत्तिक अर्थशास्त्री के रूप में पावर सेक्टर/नियामक युटिलिटी के टैरिफ विकसित करने और वाणिज्यिक कार्यों तथा लागत विश्लेषण एवं लेखाकर्म में 15/20 वर्षों का अनुभव.	(ग) कंप्यूटर योग्यता
				(ग) उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.	
				(घ) एनालिटिकल माडलिंग में प्रदर्शित दक्षता.	
5.	संचालक (विधि)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यापीठ से विधि में स्नातक उपाधि.	(क) पावर सेक्टर का प्रदर्शित ज्ञान.	(ख) वाणिज्यिक मुद्दों पर विधिक सलाह देने का अनुभव.	
		(ख) वकालत करने की पात्रता.			
		(ग) 15/20 वर्ष का वृत्तिक/न्यायिक अनुभव या राज्य शासन और/केन्द्र सरकार में समरूप अनुभव.	(ग) परिनियमों एवं/अथवा विनियमों के प्रारूपण का अनुभव.		
		(घ) उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.	(घ) संविदा एवं/अथवा प्रशासकीय विधि में अनुभव.		
			(ङ) कंप्यूटर योग्यता.		
6.	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि.	(क) पावर युटिलिटी के वित्त एवं लेखे-जोखे का अनुभव.		
		(ख) पावर युटिलिटी/विद्युत् मण्डल में वाणिज्यिक कार्यों और विद्युत् दरों को विकसित करने के 3 वर्ष के अनुभव सहित पारेषण एवं वितरण का 10/15 वर्षों का अनुभव.	(ख) अच्छी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.		
			(ग) कंप्यूटर योग्यता.		
7.	उप सचिव (कार्मिक)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि.	(क) शासकीय संस्था का अनुभव.		
		(ख) कार्मिक प्रबंधन और प्रशासन में 10/12 वर्षों का अनुभव.	(ख) पावर सेक्टर के सुधार एवं नियमन का अनुभव.		
		(ग) अच्छी लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति.	(ग) कंप्यूटर योग्यता.		
			(घ) शासकीय संस्था के वित्त एवं लेखे-जोखे का अनुभव.		
8.	उप संचालक-इंजीनियरिंग (पारेषण एवं योजना)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि.	(क) विद्युत् अधिनियम एवं विद्युत् क्षेत्र के सुधार की जानकारी.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ख) विद्युत् उत्पादन/पारेषण/वितरण सुविधाओं में संलग्न पावर युटिलिटी/विद्युत् मण्डल में पारेषण सिस्टम के रूपांकन, आयोगजना एवं संचालन, नेटवर्क की विश्वसनीयता, लोड फ्लो और गुणवत्ता जैसे विषयों के साथ 10/12 वर्षों का अनुभव.		(ख) पावर युटिलिटी के वित्त और लेखे-जोखे का ज्ञान (ग) कंप्यूटर योग्यता.
		(ग) अच्छी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.			
9.	उप संचालक-टैरिफ (पारेषण)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि.			(क) विद्युत् अधिनियम एवं विद्युत् क्षेत्र के सुधार की जानकारी.
		(ख) विद्युत् उत्पादन/पारेषण/वितरण सुविधाओं में संलग्न पावर युटिलिटी/विद्युत् मण्डल में 10/12 वर्षों का अनुभव.			(ख) पावर युटिलिटी के वित्त और लेखे-जोखे का ज्ञान. (ग) कंप्यूटर योग्यता.
		(ग) पारेषण एवं वितरण सिस्टम के रूपांकन, आयोजना और संचालन में अनुभव.			
		(घ) विद्युत् उपापन, विद्युत् क्रय अनुबंधों, वाणिज्यिक विषयों और टैरिफ विकसित करने का अनुभव.			
		(ङ) अच्छी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.			
10.	उप संचालक-टैरिफ (वितरण)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि.			(क) विद्युत अधिनियम एवं विद्युत् क्षेत्र के सुधार की जानकारी.
		(ख) विद्युत् उत्पादन/पारेषण/वितरण सुविधाओं में संलग्न पावर युटिलिटी में 10/12 वर्षों का अनुभव.			(ख) पावर युटिलिटी के वित्त और लेखे-जोखे का ज्ञान.
		(ग) उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली के आयोजना एवं संचालन के साथ वितरण के वाणिज्यिक पहलू (मीटरिंग, बिलिंग, वसूली, इत्यादि) का अनुभव और टैरिफ विकसित करने का ज्ञान.			(ग) कंप्यूटर योग्यता.
		(घ) अच्छी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति			
11.	उप संचालक- इंजीनियरिंग (उत्पादन)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि.			(क) विद्युत् अधिनियम एवं विद्युत् क्षेत्र के सुधार की जानकारी.
		(ख) विद्युत् उत्पादन/पारेषण/वितरण सुविधाओं में संलग्न पावर युटिलिटी में 10/12 वर्षों का अनुभव.			(ख) कंप्यूटर योग्यता.
		(ग) ताप/जल विद्युत् उत्पादन केन्द्रों की आयोजना, रूपांकन और संचालन का अनुभव.			
		(घ) अच्छी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति.			

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	आर्थिक विश्लेषक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माईक्रो-इकानामिक्स में विशेषज्ञता सहित अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि.	(क) विद्युत् के क्षेत्र या वाणिज्यिक प्रतिष्ठा में प्रदर्शित ज्ञान और/या अनुभव.
		(ख) शासन के विभाग/वित्तीय संस्थान/वाणिज्यिक संगठन में अर्थशास्त्री के रूप में 10/12 वर्षों का अनुभव.	(ख) अच्छी लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति.
		(ग) आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषण, स्प्रेडशीट्स एवं डेटा बेस निपुणता सहित माडलिंग में प्रदर्शित योग्यता.	
13.	वित्तीय विश्लेषक	(क) वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि/कास्ट एकाउन्टेंट/ चार्टर्ड एकाउन्टेंट.	(क) विद्युत् टैरिफ विकसित करने के साथ पावर सेक्टर में ज्ञान एवं अनुभव.
		(ख) पावर यूटिलिटी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लेखे और/या वित्त का 10/12 वर्षों का अनुभव.	(ख) अच्छी लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति.
		(ग) कंपनी के लेखे तथा वित्त के विश्लेषण में प्रदर्शित क्षमता.	
		(घ) स्प्रेडशीट और डेटा बेस विश्लेषण में प्रदर्शित ज्ञान.	
14.	विधि सहायक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यापीठ से विधि में स्नातक उपाधि.	(क) वाद कार्यवाही में अनुभव.
		(ख) वकालत करने की पात्रता.	(ख) कंप्यूटर योग्यता.
		(ग) 10/12 वर्ष का वृत्तिक अनुभव.	
		(घ) लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में उत्कृष्ट दक्षता.	
15.	लेखा अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि.	(क) एनालिटिकल माडलिंग में प्रदर्शित दक्षता.
		(ख) राज्य शासन के लेखे, कोषालय कार्य-विधि, आडिट, बजट, वेतन पत्रक और बुक कीपिंग का 5 वर्ष का वृत्तिक अनुभव.	(ख) अच्छी अभिव्यक्ति.

भाग-ख श्रेणी-III एवं IV के कर्मचारी

16.	डाटा इंट्री आपरेटर सह लिपिक.	(क) 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा (ख) कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा.
17.	न्यायालय का मार्शल	थल सेना/पैरा मिलिटरी का सेवानिवृत्त कर्मचारी.
18.	अन्य पद	जैसा कि राज्य शासन के समतुल्य पदों हेतु विनिर्दिष्ट हों.